संख्या–15/13/2009–का–4–2010

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2010

विषयः– लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष–2010–2011 के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 2.4.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष–2010–2011 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न मदों में धनराशि रूपये–28,00,000.00 (रूपये–अट्ठाइस लाख मात्र) एवं लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के शिविर कार्यालय, लखनऊ के परीक्षा भवन के तृतीय तल हेतु फर्नीचर का क्रय करने हेतु धनराशि रूपये–14,05,000.00 (रूपये–चौदह लाख पांच हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये–42,05,000.00 (रूपये–बयालीस लाख पांच हजार मात्र), जिसका कार्य/मदवार विवरण निम्नवत् है, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत् हैः–

मद	धनराशि (हजार रूपयों में)
2051–लोक सेवा आयोग	
102–राज्य लोक सेवा आयोग–	
04–राज्य लोक सेवा आयोग के पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	826
42– अन्य व्यय	1089
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	885
योग–	2800

3. शिविर कार्यालय के परीक्षा भवन के तृतीय तल हेतु फर्नीचर का क्रय करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत् हैः–

मद	धनराशि (हजार रूपयों में)
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800–अन्य व्यय	
03–राज्य लोक सेवा आयोग	
0304–लोक सेवा आयोग परिसर के निर्माण कार्य	
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1405
महायोग–	4205 (रूपये–बयालीस लाख पांच हजार मात्र)

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग यथावश्यकता नियमानुसार निविदायें आमंत्रित कर, उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए उक्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है । कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. शेष शर्तें एवं प्राविधान समसंख्यक शासनादेश दिनांक 2.4.2010 के अनुरूप हैं ।

6. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-20 में लेखाशीर्षक,"2051-लोक सेवा आयोग-आयोजनेतर-102-राज्य लोक सेवा आयोग-03-राज्य लोक सेवा आयोग (भारित)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-15/13/2009(1)-का-4-2010, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. निदेशक,वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1/2
8. कार्मिक अनुभाग-3

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव